तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /सीलिंग/4913/2005/गंगानगर** **सरकार बनाम लादूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री शिशिर विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलाण्ट, उप–राजकीय अधिवक्ता।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 21.05.2025

1– उक्त अपील अन्तर्गत धारा 23 (2) (ए) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 110/81 में पारित निर्णय दिनांक 25–04–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 के पिता तुलसा के पास 168 बीघा भूमि थी, जिसमें उसके तीन पुत्रों को बहिस्सा बराबर 56 बीघा 6 बिस्वा भूमि नहरी प्राप्त होना माना तथा उन्होंने इस भूमि को पैत्रृक सम्पत्ति मानने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की एवं ना ही उनके समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी जिससे सिद्ध होतो हो कि यह भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है। रेस्पो0 द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में जो नामांतरकरण संख्या 16 दिनांक 12–08–1941 को प्रस्तुत किया गया, जिसकी मात्र फोटोकॉपी थी, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता एवं न ही यह साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य थी किन्तु उन्होंने इस नांमान्तरकरण के आधार पर भूमि को पैत्रिक सम्पत्ति मानकर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 द्वारा धारित की जाने वाली भूमि पैत्रिक सम्पत्ति होना साबित नहीं हुआ तो यह भूमि बदरीराम की स्वअर्जित मानी जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था एवं न्यायालय ने इसे पैत्रिक सम्पत्ति मानकर उसके 05 पुत्रों का नोशनल शेयर मानकर जो सीलिंग सीका का निर्धारण किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि पुराने सीलिंग कानून के तहत न्यायालय को बदरीराम की सीलिंग सीमा का निर्धारण करते समय यह देखना चाहिए था कि उनके 5 पुत्र बताये गये थे, वे उसके परिवार के सदस्य है या नहीं तथा उस पर आश्रित है या नहीं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये पुत्रों का अलग नोशनल शेयर निकाल दिया जबकि नाबालिग लडकों का नोशनल शेयर की सीलिंग सीमा की गणना करते समय उनके पिता के साथ जोडकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय बदरीराम द्वारा धारित भूमि की गणना कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनीराम के पास निर्धारित तिथि को 56 बीघा 6 बिस्वा नहरी एवं 14 बीघा 18 बिस्वा बारानी तथा तहसील जयपुर के 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /सीलिंग/4913/2005/गंगानगर** **सरकार बनाम लादूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मानते हुए उसके परिवार के तीन पुत्रों को बहिस्सा बराबर मानते हुए एवं भूमि को पैत्रिक मानते हुए निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि निर्धारित तिथि को उसके तीनों पुत्र उसके पिता पर आश्रित थे तथा उन्होंने नाबालिग बच्चो द्वारा धारित नोशनल शेयर पिता की भूमि के साथ सम्मिलित नहीं कर सीलिंग सीमा का निर्धारण किया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया कि बदरीराम के पुत्र लाधुराम के पास गंगानगर में 23 बीघा भूमि था। हनुमानगढ में 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। इस कारण उसके परिवार का उसे सदस्य नहीं माना जा सकता था तथा उसके परिवार में केवल 5 सदस्य ही होते है जो कि 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारित करने के अधिकारी था जबकि उसके पास निर्धारित तिथि को 70 बीघा 5 बिस्वा नहरी एवं 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि बारानी थी जो कि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण किये जाने योग्य थी। इसी प्रकार मनीराम के पास निर्धारित तिथि को गंगानगर में 56 बीघा 5 बिस्वा नहरी, 14 बीघा 18 बिस्वा बारानी तथा हनुमानगढ में 5 बीघा 17 बिस्वा नहरी कुल 62 बीघा 2 बिस्वा नहरी एवं 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि बारानी थी तथा उसके पुत्र दिलीप के पास 31 बीघा 17 बिस्वा एवं हंसराज के पास 15 बीघा नहरी भूमि थी। इस कारण उन्हें परिवार का सदस्य नही माना जा सकता था एवं उसके परिवार में मात्र 7 सदस्य होते है, जो उस सीमा तक भूमि धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार दयाराम के पास निर्धारित तिथि को 56 बीघा 5 बिस्वा नहरी, 15 बीघा बारानी तथा हनुमानगढ में 10 बीघा नहरी कुल 66 बीघा 15 बिस्वा नहरी एवं 10 बीघा बारानी तथा उसके पुत्र दोलतराम के पास 23 बीघा 7 बिस्वा नहरी एवं काशीराम के पास 9 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि थी, जिनको परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता तथा दयाराम 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि रखने का अधिकारी बनता है। इस कारण रेस्पो0 के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी, जो अधिग्रहण किये जाने योग्य थी किन्तु अदालत तहत ने रेस्पो0 के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय अति0 कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–04–2005 निरस्त फरमाया जावे।

4– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलाण्ट द्वारा पत्रावली पर की गयी एकपक्षीय बहस पर मनन किया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर के समक्ष अपीलाण्ट सरकार ने राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के तहत अपने निर्णय दिनांक 25–04–2005 के द्वारा रेस्पो0 मृतक बद्रीराम, मनीराम व दयाराम के पास सीलिंग सीमा से अधिक रकबा निर्धारित तिथि को नहीं होना मानते हुए उनके विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश पारित किया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) गंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2005 से व्यथित होकर अपीलाण्ट सरकार द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रतीत है कि रेस्पो0 के पिता तुलसा के पास 168 बीघा भूमि थी जिसमें उनके तीन पुत्रों को बहिस्सा बराबर 56 बीघा 6 बिस्वा भूमि नहरी प्राप्त होना माना तथा उन्होंने इस भूमि को पैतृक सम्पत्ति मानने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच आदि नहीं की न ही कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है। रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में नामांतरकरण संख्या 16 दिनांक 12–08–41 प्रस्तुत किया है जो मात्र फोटो कापी है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /सीलिंग/4913/2005/गंगानगर** **सरकार बनाम लादूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा धारित भूमि पैतृक सम्पत्ति होना साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने जांच किये बिना पुत्रों का अलग नोशनल शेयर निकाल दिया जबकि नाबालिग लडकों का नोशनल शेयर सीलिंग सीमा की गणना करते समय उनके पिता के साथ जोडकर ही आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय ने मनीराम के पास निर्धारित तिथि को 56 बीघा 6 बिस्वा नहरी एवं 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि बारानी तथा तहसील जयपुर के 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि को मानते हुए उनके परिवार के तीन पुत्रों को बहिस्सा बराबर मानते हुए उक्त भूमि को पैतृक माना है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बद्रीराम के पुत्र लादुराम के पास गंगानगर में 23 बीघा भूमि तथा हनुमानगढ में 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी इसलिए उसे परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता था। उसके परिवार में केवल 5 सदस्य ही होते है जो कि 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारित करने के अधिकारी थे, जबकि उनके पास निर्धारित तिथि को 70 बीघा 5 बिस्वा भूमि नहरी एवं 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि बारानी थी जो कि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण किये जाने योग्य थी। इसी प्रकार मनीराम रेस्पो0 क्रम 02 के पास निर्धारित तिथि को गंगानगर में 56 बीघा 05 बिस्वा भूमि नहरी, 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि बारानी तथा हनुमानगढ में 05 बीघा 17 बिस्वा नहरी कुल 62 बीघा 02 बिस्वा एवं 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि बारानी थी। मनीराम के पुत्र दिलीप के पास 31 बीघा 17 बिस्वा एवं हंसराज के पास 15 बीघा नहरी भूमि थी इस कारण उन्हें परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता था एवं उसके परिवार में मात्र 07 सदस्य होते हैं जो उस सीमा तक भूमि धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार रेस्पो0 क्रम 03 दयाराम के पास निर्धारित तिथि को 56 बीघा 05 बिस्वा नहरी, 15 बीघा बारानी तथा हनुमानगढ में 10 बीघा नहरी कुल 66 बीघा 15 बिस्वा नहरी एवं 10 बीघा बारानी तथा उसके पुत्र दौलत राम के पास 23 बीघा 7 बिस्वा नहरी एवं काशीराम के पास 09 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि थी जिनको परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार रेस्पो0 क्रम 03 दयाराम 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि रखने का अधिकारी होता है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर रेस्पो0 के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी जो अधिग्रहण किये जाने योग्य थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर ने सीलिंग सीमा से अधिक रकबा निर्धारित तिथि को नहीं होना मानते हुए उनके विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

5— परिणामतः उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25—04—2025 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य